मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

दिनांकः सितम्बर 09, 2013

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में न्यायालय के **पुराने मोबाईल सेटों** की निलामी खुली बोली की प्रक्रिया द्वारा दिनांक 21/09/2013 को दोपहर 2:00 बजे से की जाएगी।

सामग्री का अवलोकन दिनांक 17/09/2013 से 21/09/2013 के मध्य मा0 न्यायालय के नजारत अनुभाग से सम्पर्क करके किया जा सकता है। निलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु मा0 न्यायालय के रोकड़ अनुभाग में रु.500/– (रिफन्डेबल) की जमानत धनराशि, दिनांक 21/09/2013 की दोपहर 1:00 बजे तक या उससे पूर्व जमा करनी होगी। विवरण उच्च न्यायालय की वैबसाइट www.highcourtofuttarakhand.gov.in पर भी उपलब्ध है।

ह0/–
महानिबन्धक
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय
नैनीताल

प्रतिलिपि निम्न को इस आशय के साथ प्रेषित है कि वे अपने नोटिस बोर्ड पर इसे वृहद प्रचार हेतु चस्पा करें:–

1. जिला न्यायाधीश, नैनीताल
2. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल
3. जिलाधिकारी, नैनीताल
4. जिला सूचना अधिकारी, नैनीताल
5. अधिशाषी अभियन्ता, नगर पालिका परिषद, नैनीताल
6. लोक निर्माण विभाग, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल
7. न्यायालय के नोटिस बोर्ड एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करने हेतु।

सहायक निबन्धक (नजारत)
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

नियम एवं शर्ते

- निलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के रोकड़ अनुभाग में रु.500/- (रिफन्डेबल) की जमानत धनराशि, दिनांक 21/09/2013 की दोपहर 1:00 बजे तक या उससे पूर्व जमा करनी होगी। बिना जमानत धनराशि जमा कराए, निलामी प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।

- सामग्री का अवलोकन तथा नियम/शर्तों का समस्त विवरण इत्यादि दिनांक 17/09/2013 से 21/09/2013 के मध्य मा0 न्यायालय के नजारत अनुभाग से सम्पर्क करके किया जा सकता है। उक्त विवरण उच्च न्यायालय की वैबसाइट www.highcourtofuttarakhand.gov.in में भी उपलब्ध है।

- निलामी उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में खुली बोली की प्रक्रिया द्वारा दिनांक 21/09/2013 को दोपहर 2:00 बजे से की जाएगी।

- माननीय उच्च न्यायालय को बिना कारण बताए, निलामी की तिथि में परिवर्तन करने तथा समस्त निलामी प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा।

- असफल बोलीदाताओं सुरक्षा धनराशी का भुगतान उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के रोकड़ अनुभाग द्वारा उसी दिन कर दिया जाएगा। सफल निविदा दाता की सुरक्षा धनराशी, निविदा की समस्त धनराशी जमा करने तथा सामान को उठवाने के उपरान्त ही वापस की जाएगी।

- सफल निविदा दाता को सामान उठाने से पूर्व स्वयं के पहचान-पत्र की फोटोकॉपी तथा एक फोटो जमा कराना होगा।

- निलामी प्रक्रिया निर्धारित न्यूनतम मूल्य से ऊपर शुरु होगी।

- निलाम की जाने वाली सामग्री का विवरण निम्न प्रकार है:-

SN	Make	IMEI No.	Min. Price
1.	Nokia 6610	351350403656717	340.00
2.	Nokia N70-1M Black	359381000969726	768.00
3.	Nokia N-70	351863015333988	528.00
4.	Nokia N-72-S Black	355721023756952	312.00
5.	Nokia N-72-S Black	355721023758693	312.00
6.	Nokia 3110C, Graphite	356815022746151	184.00
7.	Samsung D880, Black	358402025844792	408.00
8.	Samsung S3500	354556031214474	228.00
9.	Nokia 5130	356919033928558	220.00
10.	Nokia E-71	356059038595985	682.00
11.	Nokia N-97	358226031497471	1,192.00
12.	LG GS190	357945030971100	107.00
13.	Nokia: 6610	352960001510246	150.00
14.	Nokia: 6610	352960001515955	150.00
15.	Samsung: SGH-R220	350737085444308	100.00
16.	Motorola: 4411H11	357487002857710	100.00
17.	Samsung: SGH-R220	351809004196399	100.00

- सामग्री को निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य पर किसी भी दशा में नीलाम नहीं किया जायेगा। उच्चतम निलामी मूल्य को भी निरस्त करने का अधिकार विभागाध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेगा।

- समिति द्वारा स्वीकार किया गया निलामी मूल्य तभी अन्तिम माना जायेगा जब विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कर लिया जाये।

- माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा स्वीकार किये गये निलामी मूल्य के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

- अधिकतम बोलीदाता को नीलामी समाप्ति एवं न्यायालय द्वारा निविदा की धनराशि की स्वीकृती के उपरान्त तुरन्त न्यायालय के रोकड़ अनुभाग में पूर्ण धनराशि नकद जमा करानी होगी, उसके उपरान्त ही सामग्री को ले जाने दिया जायेगा।

- सामग्री को नीलामी स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर ले जाना होगा अन्यथा उसकी निलामी निरस्त कर दी जायेगी और उसके द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशी जब्त कर ली जायेगी। तथा सामग्री को पुनः नीलाम किया जायेगा।

- बोली लगाने वाले व्यक्ति/फर्म का स्वयं उत्तरदायित्व होगा कि जमानत धनराशि जमा करने से पूर्व निलाम किये जाने वाली सामग्री का सम्यक् रूप से निरीक्षण/परीक्षण कर ले। निरीक्षण/परीक्षण का अर्थ सामग्री को चलाकर दिखाना या चलाकर देखने देना, कदापि नहीं होगा।

- समस्त सामग्री को जो न्यायालय परिसर में जहां है, जैसी है, वैसी ही स्थिति में नीलामं किया जायेगा।

- यदि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के संज्ञान में यह बात आती है कि बोलीदाताओं ने आपस में गिरोह बना लिया है या कोई सांठ–गांठ कर रखी है और सामग्री का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में नीलामी निरस्त/स्थगित की जा सकती है।

- नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी कानूनी वाद का अधिकार क्षेत्र नैनीताल स्थित सक्षम न्यायालय होगा।

ह0/–
महानिबन्धक
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय
नैनीताल।

फार्म–1

- व्यक्ति / फर्म का नामः– ....

- पूरा पताः– ....
  ....
  ....

- मोबाइल / फोन नम्बरः– ....

- सुरक्षा धनराशी रु.500 / – (रिफन्डेबल) को रोकड़ अनुभाग में जमा करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षरः– ....

स्थानः–

दिनांकः– व्यक्ति / फर्म के हस्ताक्षर